बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 13-4-18

संख्या–21 / एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07 / 2017,सा॰प्र॰ 5031 / बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप धारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम-11 के उपनियम-(3) को निम्नलिखित द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :–

" (3) सरकार द्वारा समय-समय पर, स्वीकृत पदबल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, विज्ञापन के आधार पर, वाह्य व्यक्तियों / सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविदा के आधार पर वचनबद्ध (engage) करने तथा उनका एक पैनल तैयार करने हेतु, आयोग आवेदन आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे व्यक्तियों / सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन, आरक्षित कोटि के सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए, किया जाएगा। ऐसे वचनबद्ध वाह्य व्यक्तियों को इस आधार पर सरकारी सेवा में नियोजन का कोई अधिकार नहीं होगा। पैनल केवल दो वर्ष के लिए वैध रहेगा और तत्पश्चात् वह व्यपगत माना जाएगा। किसी पैनल की समाप्ति की तिथि से दो माह पूर्व अगला पैनल तैयार करने की कार्रवाई आयोग द्वारा आरंभ की जा सकेगी। वचनबद्ध किये जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके पदों की संख्या तथा उनको भुगतेय राशि की दर, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनिश्चित की जायेगी।

परन्तु, आरक्षित कोटि के वाह्य व्यक्तियों / सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, सामान्य कोटि के व्यक्तियों को वचनबद्ध किया जा सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–21 / एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07 / 2017 सा॰प्र॰ 5031 / पटना–15, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग ई-गजट शाखा को सी॰डी॰ सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–21 / एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07 / 2017 सा॰प्र॰ 5031 / पटना–15, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017 सा॰प्र॰ 5031 /पटना–15, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017 सा॰प्र॰ 5031 /पटना–15, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार पटना को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.04.2018 को हुई बैठक में मद सख्या 8 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–21/एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07/2017 सा॰प्र॰ 5031 /पटना–15, दिनांक– 13-4-18

प्रतिलिपिः–आई॰टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

पटना- 15, दिनांक 13-4-18

संख्या–21 / एस॰एस॰सी॰(नियमावली)-07 / 2017,सा॰प्र॰ 5032 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 5031 दिनांक 13-4-18 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

NOTIFICATION

Patna, Dated 13-4-18

No-21/S.S.C.-(Rules)-07/2017 Ka-5032 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act, 7, 2002), the State Government of substitutes the Subrule-3 of Rule 11 of the Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003 by the following with immediate effect :–

" (3) Addition to sanctioned posts, for advertisement and conducting examinations and completing the process, the Commission may invite applications for preparation of panel to engage the outer persons/retired Government officers and employees on contract basic. The selection of these persons/retired Government officers and employees, shall be done keeping in mind about appropriate representation of the members of reserved category. These engaged outer persons shall have no any right on this basic to employment in Government Service. The panel shall be valid only for two years and after this the panel shall be lapsed. The process for preparing the next panel shall be started by the Commission before two months from the expiry date of any panel. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on such persons to be engaged and their number of posts and on the rate of the amount payable to them.

provided that in the condition of unavailability of outer persons/retired Government officers and employees of reserved category, persons of General Category shall be engaged. "

By order of the Governor of Bihar,
(Rajendra Ram)
Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017Ka- ..5032..........Dated- ..13-4-18........

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copy to this Department.

Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017Ka- ..5032..........Dated- ..13-4-18.....

Copy forwarded to A.G. Bihar, Patna/ Treasury Officer Secretariat Treasury Shichai Bhawan, Patna for Information and necessary action.

Additional Secretary to Government.

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017Ka- ..5032..........Date..0d- ..13-4-18.....

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Department/ All Divisional Commissioners/ All District Magistrates/Deputy Secretary, Chief Minister Secretariat/Secretary, Bihar Legislative Assembly Secretariat/Secretary, Bihar Legislative Council Secretariat /Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/ Secretary, B.P.S.C, Patna/ Secretary, Bihar Technical Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action.

Additional Secretary to Government

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017Ka- ..5032..........Dated- ..13-4-18.....

Copy forwarded to Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department, Bihar, Patna in the context of the Sanction as item no - 8 in the meeting organized on 06.04.2018 of State Cabinet for information and necessary action.

Additional Secretary to Government

MemoNo.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017Ka- ..5032..........Dated- ..13-4-18.....

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Additional Secretary to Government